न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री मनमोहन मीना आर ए एस
वाद संख्या :- 46/2018

शीर्षक

1. हनुमानसिंह पुत्र उमराव सिंह व्यस्क जाति राजपूत निवासी ग्राम राडावास तह0 शाहपुरा जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. रघुवीर सिंह पुत्र कानसिंह
2. किशोर सिंह पुत्र इन्द्रसिंह

3. शंकर सिंह
4. कल्याण सिंह } पुत्रान बचन सिंह

5. भागीरथ सिंह पुत्र विजयसिंह

6. रामसिंह
7. रघूनाथ सिंह
8. मदनसिंह
9. हरदेव सिंह
10. मुकन्धसिंह } पुत्रान बालसिंह

11. सुगनसिंह पुत्र भवरसिंह
12 हुकमसिंह पुत्र इन्द्ररसिंह
13 मदनसिंह पुत्र इन्द्ररसिंह
14 चिन्टुसिंह पुत्र बहादुरसिंह

15 पप्पूसिंह
16 रामूसिंह
17 सुरेन्द्रसिंह
18 विक्रमसिंह } पुत्रान चतरसिंह

19 अभिषेक सिंह पुत्र भैरूसिंह

20 रविन्द्रसिंह
21 नरपतसिंह
22. करणसिंह } पुत्रान बजरंगसिंह

23. मंगेजसिंह
24 मानसिंह
25 भवानीसिंह } पुत्रान हरिसिंह

26. तेजसिंह पुत्र नारायण सिंह
समस्त जाति रजपूत समस्त व्यस्कान, निवासी ग्राम राडावास तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0
27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज, घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 88,89,188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 2/2/2023

उपस्थित– श्री सुनील शुक्ला एडवोकेट (वादी)

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर

दिनांक 20.07.2018 को वादी की ओर से एक दावा पेश किया गया जो संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि ग्राम राडावास तहसील शाहपुरा का साबिक ख0 न0 414 व 416 है। जिसके हाल ख0 न0 776 रकबा 0.30 है0 भूमि वाकै ग्राम राडावास तह0 शाहपुरा में स्थित है। यह कि उक्त भूमि की खातेदारी सहवन से प्रतिवादीगण के दादा एवं पिता के नाम आ गई उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण ने कभी कब्जा काश्त नही रहा है। 70 वर्षो से वादी उक्त भूमि पर काश्त करता चला आ रहा है एवं आज भी काबिज काश्त है। हाल ख0 न0 770/0.30 है0 भूमि का पर्चा सेटलमेन्ट कर्मचारियो की गलती से प्रतिवादीगण के दादा पिता के नाम आ गयी पर्चा खातेदारी की भूमि में जिनका नाम है उनमें से कई तो मर चुके है, जिनके वारिसान कायम मुकाम बनाये गये है, रघुवीरसिंह, कानसिंह, जीवित है तथा इन्द्रसिंह पुत्र बैरसिंह की मृत्यु हुये काफी समय हो गया है इनके वारिसान प्रतिवादी सं0 2 तथा बाबूसिंह पुत्र भगतसिंह जी फौत हो चुके है यह नाऔलाद फौत हुआ है, जिनके वारिसान प्रतिवादी सं0 3 व 4 है तथा कानसिंह पुत्र रणजीतसिंह की नाऔलाद फौत हुये है तथा विजयसिंह बाबूसिंह पुत्र श्योनाथसिंह की फौत हो चुके है, जिनके वारिस प्रतिवादी सं0 5, 6 इस प्रकार भवरसिंह पुत्र ननदसिंह की फौत हो चुका है, जिनके वारिसान प्रतिवादी सं0 11 है। प्रश्नागत आराजी पर 70 वर्षो से वादी बिना किसी बाधा के काबिल काश्त है एडवर्स पजेशन के आधार पर भी कानूनी अधिकार प्राप्त हो चुके है ।

वादी के द्वारा वाद पत्र होने पर विधिवत दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने पर दिनांक 11.9.2019 को विधिवत एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई। वादीगण की ओर से उनके अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। साक्ष्य वादी में जमाबंदी संवत 2064–2067, सम्वत 2072–2075 एवं एक इकरारनामा दिनांकित 20.08.99 एवं खाता तह0 विराटनगर एवं मिलान क्षेत्रफल पेश किया गया है तथा सुरेश पुत्र नाथूलाल जाति धोबी उम्र 55 वर्ष निवासी राडावास एवं हनुमानसहाय पुत्र बालूराम जाट उम्र 75 वर्ष निवासी राडावास के शपथ पत्र मुख्य परीक्षण में पेश किये है । साक्ष्य वादी गवाह ने अपने शपथ पत्र में वादपत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए जाहिर किया है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा साक्ष्य दस्तावेजात का अवलोकन करने एवं पेश किये गये इकरारनामा एवं खाता रिकार्ड से साफ जाहिर है कि प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि वादी को कतई बेचान कर दी थी एवं समस्त प्रतिफल प्राप्त कर लिया था। प्रतिवादीगण की ओर से बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर दिनांक 11.09.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश हो चुका है । हमने अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया एवं उक्त इकरारनामा व खाता बही तह0 विराटनगर के अवलोकन से स्पष्ट है की प्रतिवादीगण के पूर्वजो ने उक्त भूमि वादी को कताई बेचान कर प्रतिफल प्राप्त कर लिया था एवं बयानो से भी कब्जे की पुष्टि होती है । उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवचेन के आधार पर दावा वादी के हक में डिक्री किया जाता है कि ग्राम राडावास तह0 शाहपुरा के हाल आराजी ख0 न0 776 रकबा 0.30 है0 कुल किता 1 रकबा 0.30 है0 का वादी हनुमानसिंह पुत्र उमरावसिंह जाति राजपूत निवासी राडावास को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त में किसी की दखलन्दाजी नहीं करें । तहसीलदार शाहपुरा को पालनार्थ लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 2/2/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना)
सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0)
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 6

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना आर ए एस
वाद संख्या :– 46 / 2018

शीर्षक

1. हनुमानसिंह पुत्र उमराव सिंह व्यस्क जाति राजपूत निवासी ग्राम राडावास तह0 शाहपुरा जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. रघुवीर सिंह पुत्र कानसिंह
2. किशोर सिंह पुत्र इन्द्रसिंह

3.शंकर सिंह
4. कल्याण सिंह } पुत्रान बचन सिंह

5.भागीरथ सिंह पुत्र विजयसिंह

6. रामसिंह
7. रघूनाथ सिंह
8. मदनसिंह } पुत्रान बालसिंह
9. हरदेव सिंह
10. मुकन्धसिंह

11. सुगनसिंह पुत्र भवरसिंह
12 हुकमसिंह पुत्र इन्द्ररसिंह
13 मदनसिंह पुत्र इन्द्ररसिंह
14 चिन्टुसिंह पुत्र बहादुरसिंह

15 पप्पूसिंह
16 रामूसिंह
17 सुरेन्द्रसिंह } पुत्रान चतरसिंह
18 विक्रमसिंह

19 अभिषेक सिंह पुत्र भैरूसिंह

20 रविन्द्रसिंह
21 नरपतसिंह } पुत्रान बजरंगसिंह
22. करणसिंह

23.मंगेजसिंह
24 मानसिंह } पुत्रान हरिसिंह
25 भवानीसिंह

26. तेजसिंह पुत्र नारायण सिंह
समस्त जाति रजपूत समस्त व्यस्कान, निवासी ग्राम राडावास तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0
27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज, घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 88,89,188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 2/2/2021

उपस्थित– श्री सुनील शुक्ला एडवोकेट (वादी)

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

अतः उपरोक्त विवचेन के आधार पर दावा वादी के हक में डिक्री किया जाता है कि ग्राम राडावास तह0 शाहपुरा के हाल आराजी ख0 न0 776 रकबा 0.30 है0 कुल किता 1 रकबा 0.30 है0 का वादी हनुमानसिंह पुत्र उमरावसिंह जाति राजपूत निवासी राडावास को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त में किसी की दखलन्दाजी नहीं करें । तहसीलदार शाहपुरा को पालनार्थ लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 2/2/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज० सत्यमेव जयते

(मनमोहन मीना)
सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0)
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. ______ रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	